विश्व जागृति मिशन राष्ट्रपति द्वारा

बनाम

केंद्रीय सरकार ने कैबिनेटक द्वारा सचिव और अन्य

अगस्त 3,2001

[डॉ. ए. एस. आनंद, सी. जे., आर. सी. लाहोटी ANDK.G. बालाकृष्णन, जे. जे.]

शैक्षणिक संस्थान- रैगिंग- रैगिंग पर अंकुश लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश-उक्त दिशा-निर्देशों का व्यापक प्रचार किया जाएगा।

कैबिनेट सचिव और अन्य द्वारा से राष्ट्रपति बनाम केंद्र सरकार द्वारा से विश्व जागृति मिशन, [2001] 3 एससीआर 540, का उल्लेख किया गया है।

नागरिक मूल क्षेत्राधिकार 1998 की रिट याचिका (सी) संख्या 656।(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)।

उपस्थित पक्षों की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मुकुल रोहतगी, सुश्री,सुश्री ललिता कोहली, मनिंदर सिंह, अजय शर्मा, बी. वी. बलराम दास, सुश्री सुषमा सूरी, सिद्धार्थ भटनागर, गौरव के. बनर्जी और प्रशांत कुमार की ओर से सुश्री कविता वाडिया।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यह याचिका, जो नए छात्रों की रैगिंग के मामले में देश के शैक्षणिक संस्थानों में व्याप्त खतरे को उजागर करते हुए जनहित में दायर की गई थी, ने 4 मई, 2001 के न्यायालय के आदेश द्वारा से अपना उद्देश्य हासिल किया है।वह प्रस्तुत करता है कि जहां तक इस याचिका का संबंध है,

आगे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि प्रतिवादी को उस आदेश में निहित न्यायालय के सुझाए गए दिशा निर्देशों का व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया जाए।

विद्वत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, जो प्रतिवादी की ओर से पेश होते हैं, प्रस्तुत करते हैं कि आवश्यक कार्य किया जाएगा।हम बयान दर्ज करते हैं और 4 मई, 2001 के न्यायालय के आदेश के संदर्भ में तय की गई रिट याचिका का निपटारा करते हैं, जिसे आत्यन्तिक बना दिया गया है।

याचिका का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।